भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2192

05.08.2024 को उत्तर के लिए

कैम्पा निधि की उपयोगिता

2192. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गोवा राज्य के लिए प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) निधि से प्राप्त कुल राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त राज्य द्वारा उपयोग की गई और वापस लौटाई गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गोवा राज्य ने उक्त अवधि के लिए कैम्पा निधि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है;

(घ) क्या कैम्पा निधि के उपयोग के संबंध में कोई दिशानिर्देश हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या कैम्पा निधि को किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ड) प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 का मुख्य उद्देश्य वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार वन भूमि के विपथन के कारण वन और पारिस्थितिकीय प्रणाली को हुए नुकसान की भरपाई करना है। राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (राष्ट्रीय कैम्पा) प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 और उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य संचालन योजना को मंजूरी देता है। गोवा राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019-2020 से वर्ष 2024-2025 तक के वार्षिक कार्य संचालन योजना में स्वीकृत परिव्यय और निधियों के उपयोग का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है: -

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	वार्षिक कार्य संचालन योजना में स्वीकृत परिव्यय	गोवा राज्य के लिए उपयोग की गई निधि
2019-20	17.95	6.87
2020-21	32.68	23.39
2021-22	21.55	17.75
2022-23	41.40	25.76
2023-24	31.28	28.87
2024-25	29.56	-

राज्य कैम्पा निधि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के शासकीय खातों में उपलब्ध है और इसका उपयोग अनुमोदित वार्षिक कार्य संचालन योजना के अनुसार किया जाता है। प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 और प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियम, 2018 के अनुसार राज्य द्‌वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

***